प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

15.05.2025 / प्रादेशिक समाचार / 9:20बजे

ट्रेनी भर्ती

राज्य में अब कांट्रैक्ट की जगह ट्रेनी अफसर व ट्रेनी कर्मचारी भर्ती होंगे। भर्ती प्रक्रिया की यह नई व्यवस्था 20 फरवरी, 2025 से लागू मानी जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त कानून 2024 को लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार 20 फरवरी के बाद अधिसूचित पदों पर होने वाली भर्तियों में चयनित उम्मीदवारों को नए कानून के तहत ही सरकार से समझौता करना होगा। नियमितिकरण के संदर्भ में राज्य सरकार ही निर्णय लेगी। नए नियमों के तहत भर्ती होने वाले स्टाफ को हर माह एक अवकाश मिलेगा। इसी तरह 10 मैडीकल लीव व 5 स्पैशल लीव भी मिलेगी। नए भर्ती स्टाफ को बिना सूचित किए ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। इसी तरह काम के संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में भी उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है।

तिरंगा यात्रा

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा ने भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान में देशभर में तिरंगा यात्रा शुरू की है जिसे लेकर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश में आज तिरंगा यात्रा धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल शिमला में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि यह यात्रा भारत की सेना के सम्मान में निकाली गई है।

प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष वंदना योगी ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों सहित महिलाओं ने भी इस यात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सफल नेतृत्व में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को निर्णायक कदम बताया।

हाईकोर्ट

प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पिछले पांच साल में एन.डी.पी.एस एक्ट में दर्ज मामलों का रिकार्ड मांगा है, ताकि पता चल सके कि प्रदेश में मादक पदार्थों का सेवन घटा है या बढ रहा है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सरकार को यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या मादक पदार्थ पुनर्वास पर राज्य नीति का मसौदा विचाराधीन था, अधिसूचित किया है या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी।

स्कूल मर्ज

प्रदेश में शून्य दाखिले वाले 80 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। इन स्कूलों में इस वर्ष किसी भी छात्र ने दाखिला नहीं लिया है। इसमें तैनात शिक्षकों व गैर शिक्षकों को सरप्लस पूल में रखा जाएगा, उसके बाद इनकी तैनाती रिक्त स्थान पर की जाएगी। कल शिक्षा विभाग निदेशालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में 87 लड़कों–लड़कियों के अलग–अलग स्कूलों को भी मर्ज किए जाने का निर्णय लिया गया। इन स्कूलों में लगातार दाखिले कम हो रहे थे।

मांग

चंबा जिला की जीवन दायिनी राबी नदी में कूड़ा कचरा व मलबा फैंक कर इसे प्रदूषित किया जा रहा है, जिससे लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से इस संबंध में ठोस कदम उठाने की मांग की है।

सुर्खियां समाचार पत्रों से......

आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग–अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है शून्य छात्र संख्या वाले 80 विद्यालय होंगे बंद, लड़कों–लड़कियों के 87 स्कूल किए जाएंगे मर्ज। दैनिक जागरण का शीर्षक है शून्य दाखिले वाले 80 स्कूल होंगे बंद, 87 में सह शिक्षा।

पंजाब केसरी की एक खबर है मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से पहले 19 को मंत्रिमंडल बैठक। इसी खबर पर दैनिक भास्कर लिखता है एचआरटीसी की बसों में महिलाओं को किराए में 50 प्रतिशत छूट पर फैसला संभव।

जरूरतमंदों को सहायता दे रही सरकार शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है सीएम बोले–प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए उठाए जा रहे कदम।

मौसम पर आपका फैसला की सुर्खी है हिमाचल के कई भागों में एक सप्ताह तक होगी हल्की बारिश।